



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
प्रथम अपील संख्या 252 वर्ष 2025

नीतेश कुमार पाल

...अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती रामेंद्री पाल

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अश्विनी कुमार सचान, सौरभ सचान
प्रतिवादी के अधिवक्ता: श्याम बहादुर

न्यायालय संख्या - 39

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा

माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा द्वारा प्रदत्त)

1. यह प्रथम अपील विवाह में पीड़ित पति द्वारा दायर की गई है। परिवार न्यायालय ने 24 जनवरी, 2025 के अपने निर्णय में, अपीलकर्ता की विवाह खत्म करने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दूसरे शब्दों में, इसे खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता-पति की ओर से अधिवक्ता श्री सौरभ सचान और प्रतिवादी-पत्नी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम बहादुर पेश हुए।

2. हमने रजिस्ट्री से आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ 22 सितंबर, 2017 के उस निर्णय का भी अंग्रेजी अनुवाद करने को कहा था, जो पूर्व में परिवार न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया था; उस निर्णय में प्रतिवादी-पत्नी की, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। हमने दोनों निर्णयों को पढ़ा है। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें भी सुनी हैं।

3. आक्षेपित निर्णय से यह पता चलता है कि परिवार न्यायालय ने अपीलकर्ता के मामले पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यह पाया गया कि वह 25 दिसंबर, 2015 को प्रतिवादी से अलग हो गया था, जब वह दो महीने की गर्भवती थी। उक्त न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता ने यह स्वीकार किया था कि उसे न तो यह पता था कि उसकी बेटी जन्म के बाद कितने दिनों तक गहन देखभाल इकाई में रही, और न ही उसे यह पता था कि वह किस बीमारी से पीड़ित थी। उसने अपनी बेटी के जन्मदिनों में कभी शिरकत नहीं की। 25 मई, 2019 को, जब

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिवादी बेंगलुरु गई, तो अपीलकर्ता उसे अपने कमरे में नहीं ले गया, क्योंकि वह अपने अन्य साथियों (सहकर्मियों) के साथ रह रहा था। ये बातें पाए जाने पर, परिवार न्यायालय ने अपने निर्णय के प्रस्तर 19 और 20 में, अन्य बातों के साथ-साथ, जो कहा है, उसका अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिया गया है।

19. क्रूरता इस प्रकृति की होनी चाहिए कि वह न्यायालय के अंतर्मन को इस बात से संतुष्ट कर सके कि पक्षों के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि उनके लिए मानसिक पीड़ा के बिना एक साथ रहना असंभव हो गया है। क्रूरता में आम तौर पर कोई एक कार्य शामिल नहीं होता, बल्कि यह एक निश्चित समय अवधि में किए गए कार्यों की एक श्रृंखला होती है। की गई क्रूरता कई रूप ले सकती है, और यह ऐसी होनी चाहिए जिससे जीवनसाथी के मन में यह आशंका पैदा हो जाए कि गलती करने वाले पक्ष के साथ रहना खतरनाक है। इसके लिए आवश्यक सबूत का मानक 'संभावनाओं की प्रबलता' है, न कि आपराधिक मामलों की तरह 'सभी उचित संदेहों से परे' का मानक। किसी खास तरह का बयान और बर्ताव हर मामले में क्रूरता नहीं माना जा सकता। यह पति/पत्नी की हैसियत और उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें वे रहते हैं।

20-इस मौजूदा वाद में, याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए क्रूरता-आधारित कामों की लंबी श्रृंखला –जिसमें विरोधी पक्ष द्वारा दहेज के लिए आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल नहीं है–ऐसी नहीं है जिससे क्रूरता और कठोर बर्ताव की गंभीरता ज़ाहिर हो और पति/पत्नी के लिए एक-दूसरे के साथ रहना नामुमकिन हो जाए।

(ज़ोर दिया गया)

4. हमारे सामने अपीलकर्ता का तर्क यह है कि इससे पहले, प्रतिवादी ने धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की थी। उसकी याचिका को 22 सितंबर, 2017 के ऊपर बताए गए निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने तथ्यों की जांच के बाद उसे खारिज किया था। वह फैसला, और साथ ही 23 जुलाई, 2021 के आदेश द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा उसके खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की अस्वीकृति [आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 9, 2018 (श्रीमती रामेंद्री पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)] इन दोनों को ही उसने विवाह-विच्छेद की कार्यवाही में सबूत के तौर पर पेश किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था। आक्षेपित निर्णय में इसके विपरीत कोई चर्चा नहीं की गई है। इस तरह, विद्वान न्यायाधीश ने तथ्यों के मामले में गलती की है और इसलिए निर्णय को पलटकर विवाह-विच्छेद की घोषणा की जानी चाहिए। दूसरी ओर, प्रतिवादी का तर्क आक्षेपित निर्णय पर आधारित है, जिसमें बताए गए तथ्यों को ही आधार बनाया गया है।

5. परिवार न्यायालय के पिछले विद्वान न्यायाधीश, जिन्होंने 22 सितंबर, 2017 का उक्त निर्णय सुनाया था, अंतरिम भरण-पोषण देने से संबंधित विवादित तथ्यों पर विचार करते हुए, अन्य बातों के अलावा, मुद्दे संख्या 4 और 5 तय किए थे, जो नीचे दिए गए हैं।

"4- क्या विरोधी पक्ष ने जान-बूझकर याचिकाकर्ता का भरण-पोषण करने में लापरवाही बरती और उसका भरण-पोषण करने से इनकार कर दिया?"

5- क्या याचिकाकर्ता के पास विरोधी पक्ष से अलग रहने के लिए उचित और न्यायसंगत आधार हैं?"

विद्वान न्यायाधीश ने इन मुद्दों का उत्तर अपीलकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध दिया। यह उत्तर तथ्यों की खोज पर आधारित था। यहाँ हमारे लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 (व्याख्या खंड) का उल्लेख करना आवश्यक है; यद्यपि यह अब निरस्त हो चुकी है, लेकिन उक्त निर्णय दिए जाने के समय यह लागू थी। यह धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, 'तथ्य', 'सुसंगत', 'विवादय तथ्य', 'साबित', 'नासाबित' और 'साबित नहीं' की व्याख्या करती है। धारा 5 और 6 उन साक्ष्यों का प्रावधान करती हैं जो विवादय तथ्यों, सुसंगत तथ्यों और एक ही संव्यवहार का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की सुसंगति के संबंध में दिए जा सकते हैं। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि वैवाहिक कलह के कारण हुआ अलगाव, और उसके बाद प्रतिवादी द्वारा अंतरिम भरण-पोषण की मांग करना उसके दावे का निर्णय करते समय तथ्यों की खोज को जन्म देगा; और ये तथ्य उस निरंतर वैवाहिक कलह के संदर्भ में सुसंगत हो सकते हैं, जिसके कारण अपीलकर्ता ने विवाह-विच्छेद के लिए याचिका दायर की है।

6. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, भरण-पोषण के दावे पर विचार करते समय विद्वान न्यायाधीश ने यह पाया कि प्रतिवादी का यह आरोप कि अपीलकर्ता ने लिखित माफी मांगी थी और भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा किया था, साबित नहीं हुआ है। अपीलकर्ता ने यह साबित कर दिया था कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के संपर्क में इंटरनेट के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माध्यम से आए थे। जब वह एक होटल में ठहरा हुआ था, तभी दोनों पक्षों ने विवाह कर लिया, और प्रतिवादी अपने माता-पिता को अपीलकर्ता को स्वीकार करने के लिए मनाने हेतु अपने मायके चली गई। उसने यह आरोप लगाया था कि बाद में उसकी ओर से एक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें तस्वीरें भी ली गई थीं; लेकिन यह भी साबित नहीं हो सका। विद्वान न्यायाधीश द्वारा तथ्यों की खोज के आधार पर यह पाया गया कि विवाह वास्तव में 2 जुलाई, 2017 को संपन्न हुआ था; इस निष्कर्ष के परिणामस्वरूप यह भी सिद्ध हो गया कि 10,00,000 रुपये की दहेज की मांग के संबंध में उसका बाद का आरोप झूठा था। विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ बहुत ही कम समय बिताया था। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने यह आरोप भी लगाया था कि अपीलकर्ता का किसी अन्य लड़की के साथ संबंध था लेकिन वह इस आरोप को भी साबित नहीं कर सकी।

7. यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू करवाया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A के तहत आरोप लगाए गए थे। इस धारा के तहत दी गई व्याख्या के खंड (a) और (b) में 'क्रूरता' का अर्थ बताया गया है। इसमें ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण शामिल है जिससे महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, या उसे जान, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा हो, या ऐसा आचरण जिसका उद्देश्य उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी गैर-कानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना हो। प्रतिवादी ने अपने भरण-पोषण के दावे की सुनवाई के दौरान, पुलिस शिकायत करना तो दूर, प्रस्तुत भी नहीं हुई। इसके बाद, आक्षेपित निर्णय का अवलोकन करने पर, हम अपीलकर्ता की ओर से दी गई इस दलील को स्वीकार करते हैं कि आपराधिक पुनरीक्षण में दिए गए पिछले निर्णय और आदेश को, जिसे अपीलकर्ता ने सबूत के तौर पर पेश किया था, देखा भी नहीं गया। इस संबंध में, आक्षेपित निर्णय के प्रस्तर 5 के अंग्रेजी अनुवाद का एक अंश नीचे दिया गया है:

"5. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों की सूची, यानी कागज संख्या 52 सी 1/1 से 52 सी 1/6 तक, जिसमें क्रमशः रेलवे टिकट की प्रतिलिपि, शारदा हेल्थ केयर मेडिकल से संबंधित प्रतिलिपियां, फेसबुक स्टेटस की प्रतिलिपि, हलफनामा, और वाद संख्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



131/2016 में याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी पक्ष के सबूतों की प्रतिलिपि, साथ ही निर्णय

की प्रतिलिपि और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 9/2018 की प्रतिलिपि शामिल है..."

(जोर दिया गया)

8. दिनांक 22 सितंबर, 2017 के उक्त निर्णय में तथ्यों पर आधारित उपरोक्त निष्कर्ष शामिल हैं। प्रतिवादी ने इस निर्णय के पुनरीक्षण के लिए इस न्यायालय में याचिका दायर की थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिनांक 23 जुलाई, 2021 के आदेश (उपरोक्त) द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम जगमोहन सिंह कुलदीप सिंह आनंद जो (2004) 7 एससीसी 659 में दर्ज है के मामले में, प्रस्तर 22 में कहा है कि पुनरीक्षण न्यायालय को वे सभी शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के प्रावधानों के तहत अपीलीय न्यायालय को प्रदान की गई हैं (हालांकि यह धारा अब निरस्त हो चुकी है)। जब वह पहले वाला निर्णय और 23 जुलाई, 2021 का आदेश (ऊपर बताया गया), जिसके ज़रिए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी, सुनाया गया था, तब वह रद्द किया गया कानून लागू था। अतः, यह निष्कर्ष निकलता है कि विवादित तथ्यों से संबंधित निष्कर्षों पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप न करना, जिन पर विचार नहीं किया गया था, विद्वान न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित निर्णय सुनाते समय की गई एक त्रुटिपूर्ण चूक थी। इस प्रकार, 22 सितंबर, 2017 के उक्त निर्णय पर आधारित तथ्यों के संबंध में अपीलकर्ता का तर्क सारगर्भित प्रतीत होता है। अब हम आक्षेपित निर्णय पर वापस आते हैं और बेटी के जन्म तथा याचिकाकर्ता की अरुचि से जुड़े अतिरिक्त तथ्यों पर चर्चा करते हैं। आक्षेपित निर्णय सुनाते समय, विद्वान न्यायाधीश ने उन तथ्यों को अलग-थलग करके देखा और इसी आधार पर निर्णय के प्रस्तर 19 और 20 में दिए गए तर्क प्रस्तुत किए। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद ऊपर दिया गया है। यह याद रखना ज़रूरी है कि, संतान के प्रति अपीलकर्ता की अरुचि, जिसका ज़िक्र प्रतिवादी ने परिवार न्यायालय न्यायालय के समक्ष किया था, उसे अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए क्रूरता के आरोप के बचाव के तौर पर न तो स्वीकार किया जा सकता है और न ही उसे एक वैध बचाव माना जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अपीलकर्ता की ओर से, प्रथम अपील संख्या 251/2013 (श्रीमती तृप्ति सिंह

बनाम अजात शत्रु) में 17 सितंबर, 2024 के निर्णय में एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए मत पर भरोसा किया गया। परिवार न्यायालय ने इससे पहले, 22 सितंबर, 2017 के अपने निर्णय में यह पाया था कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायत की थी। उसे हिरासत में भी लिया गया था। आक्षेपित निर्णय के प्रस्तर 17 में, परिवार न्यायालय न्यायालय ने इस तथ्य का जिक्र तो किया, लेकिन इसके आधार पर अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी पर लगाए गए क्रूरता के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं माने। इसलिए, अपीलकर्ता ने श्रीमती तृप्ति सिंह (उपर्युक्त) मामले में दिए गए मत पर भरोसा किया। श्रीमती तृप्ति सिंह (उपर्युक्त) मामले में समन्वय पीठ ने, परिवार न्यायालय न्यायालय के 22 फरवरी, 2013 के उस निर्णय के खिलाफ पत्नी की अपील पर विचार किया था, जिसमें क्रूरता के आधार पर विवाह को भंग कर दिया गया था। पीठ ने क्रूरता से संबंधित कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों पर विचार किया। चर्चा किए गए मामलों में से एक था समर घोष बनाम जया घोष, जो (2007) 4 एससीसी 511 में दर्ज है; इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई उदाहरण दिए थे, जिनसे यह समझा जा सके कि 'मानसिक क्रूरता' किसे माना जा सकता है। क्रूरता से संबंधित कानून को स्पष्ट करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी चर्चा की गई और निर्णय में उनके प्रासंगिक प्रस्तर उद्धृत किए गए। ऐसा करने के बाद, समन्वय पीठ ने अपने निर्णय के प्रस्तर 23 में अपना मत व्यक्त किया। उस निर्णय का एक अंश नीचे दिया गया है।

"23.... हिंदू विवाह के संदर्भ में, कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी के माता-पिता को 'सास-ससुर' कहना जारी रख सकता है, लेकिन साथ ही, क्रूरता के आरोप में, यदि जीवनसाथी के माता-पिता को झूठे आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, या आपराधिक मुकदमे के दौरान वे आरोप झूठे पाए जाते हैं तो न्यायालयों द्वारा क्रूरता का कोई और या कड़ा सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं रह जाती। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वे कोई अजनबी या तीसरे पक्ष के लोग नहीं थे। अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए लापरवाह और झूठे आरोपों के शिकार लोग, वास्तव में प्रतिवादी के सबसे करीबी पारिवारिक सदस्य, यानी उसके माता-पिता ही थे। एक बार जब वह क्रूर कृत्य हो गया, तो दोनों पक्षों की शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देखते हुए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया गया; जिसके चलते उसे अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक जीवन बिताने में स्वाभाविक रूप से असुरक्षा महसूस हुई होगी। यह स्थिति तब पूरी तरह से अलग होती, यदि दहेज की मांग का आरोप सच पाया गया होता। बहरहाल, चूंकि विवाह विच्छेद की मांग एक 'दीवानी कार्यवाही' है, इसलिए अन्य सभी बातों को दरकिनार करते हुए भी, इस कार्यवाही को शुरू करने का उद्देश्य प्रतिवादी जीवनसाथी (उस कार्यवाही में) को अपने जीवनसाथी से बदला लेने के लिए, कोई झूठा आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रेरित करना कतई नहीं हो सकता था। अपीलकर्ता द्वारा किए गए उस कृत्य के कारण, समाज में प्रतिवादी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा और मान-सम्मान को भारी क्षति पहुंची। इस क्षति को झेलने के बाद, प्रतिवादी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इस सदमे से उबरकर अपने वैवाहिक संबंधों को पुनः स्थापित कर पाएगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोनों ही पक्ष उच्च-शिक्षित हैं, प्रतिवादी के पास 'मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' (M.B.A.) की डिग्री है, जबकि अपीलकर्ता के पास 'डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी' (Ph.D.) की उपाधि है। ऐसे में, अपीलकर्ता द्वारा चलाए गए झूठे मुकदमे के कारण प्रतिवादी को जिस मानहानि का सामना करना पड़ा है, उसे इतनी गंभीर क्रूरता माना जा सकता है कि वह प्रतिवादी के मन में एक उचित आशंका उत्पन्न कर दे; यह आशंका कि वर्तमान अपीलकर्ता के साथ, एक कलहपूर्ण वैवाहिक संबंध में रहना उसके और उसके परिवार के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भविष्य में भी इसी तरह के झूठे मुकदमों आदि का खतरा सदैव बना रहेगा।"

(जोर दिया गया)

10. हम पाते हैं कि हमारे समक्ष उपस्थित अपीलकर्ता भारतीय सेना में 'रसोइए' के पद पर कार्यरत है, और उसकी तैनाती बेंगलुरु में है। प्रतिवादी के पास शैक्षिक योग्यता के रूप में अंग्रेजी विषय में 'दोहरी एम.ए.' की डिग्री है। इस संदर्भ में, हम **श्रीमती तृप्ति सिंह** (उपर्युक्त) के मामले में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं जिसमें, समन्वय पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता जो स्वयं 'डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी' (Ph.D.) धारक थी, ने झूठे आरोप लगाए थे और अपने पति तथा उसके परिवार के सदस्यों (अपने ससुराल वालों) को हिरासत में भिजवा दिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था। इस प्रकार का आचरण यह आशंका उत्पन्न करता है कि पत्नी के साथ रहना और वैवाहिक संबंध बनाए रखना दूसरे पक्ष के लिए सुरक्षित न हो।

11. ऊपर बताए गए कारणों से, आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। परिवार न्यायालय में पेश की गई याचिका के आधार पर, 2 जुलाई, 2015 को हुई विवाह को क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद के आदेश से भंग किया जाता है। इस पहले के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ बहुत ही कम समय बिताया, और साथ ही इस अन्य तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए, जिसके विपरीत कोई बात आक्षेपित निर्णय में नहीं पाई गई कि पति-अपीलकर्ता से प्रतिवादी के माता-पिता के घर में रहने के लिए कहा गया था, हम स्थायी गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश देने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित नहीं हैं।

12. अपील स्वीकार की जाती है और इसका निस्तारण किया जाता है।

जनवरी 9, 2026

मोहिनी

(न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा)

(न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।